

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर

क्रमांक: एफ3/मु./याता./निरी./15/462

दिनांक: 13/08/15

समस्त मुख्य प्रबन्धक
राजस्थान परिवहन निगम
..... आगार

श्रीमान् अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 15.7.2015 को मुख्य प्रबन्धकों की बैठक की कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 7 पर एवं दिनांक 3.8.2015 की विभागाध्यक्षों की बैठक में निम्न निर्णय लिया गया है:-

"मुख्य प्रबन्धक चालक-परिचालक को यूनिफार्म पहनने के लिये प्रोत्साहित करें।"

राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 3, 9 में कर्तव्य के दौरान निर्धारित वर्दी पहनना भी अनिवार्य किया गया है। अतः उक्त निर्णय/नियम के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि, सभी चालक मय एजेन्सी चालक एवं परिचालक अपने कर्तव्य के समय निर्धारित वर्दी में मय लाइसेन्स एवं नेम प्लेट के उपस्थित रहेंगे। इन निर्देशों से सभी कर्मचारियों को सूचित कर मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक(यातायात/संचालन) पालना सुनिश्चित करेंगे। उडनदस्ता दल प्रभारी निरीक्षण के दौरान चालक/परिचालक वर्दी में है या नहीं, का उल्लेख दैनिक चैकिंग रिपोर्ट में आवश्यक रूप से करेंगे।

04/12/8/15
(राकेश राजोरिया)

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक: एफ3/मु./याता./निरी./15/462

दिनांक: 13/08/15

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक महो. रा. प. निगम जयपुर।
- 2 समस्त विभागाध्यक्षरा. प. निगम जयपुर।
- 3 श्रीप्रबन्धक(याता./संचा.)/या.निरी./सहा.याता.निरी., द्वारा मुख्य प्रबन्धक।
- 4 आदेश पत्रावली।

12/8/2015
(आर.एस. मीना)

महा प्रबन्धक(यातायात)

Shree